अपडेट कलेक्टिव

अंक संख्या : 1 1 सितम्बर 2007

भू–अधिकार संघर्ष एवं नयी जन राजनीति

संपादकीय टिप्पणी

अपडेट कलेक्टिव समूह की ओर से समस्त पाठकों को जिन्दाबाद। कई महीनों के अंतराल के बाद, अपडेट की फिर वापसी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके प्रकाशन में कोई समय–अंतराल नहीं होगा। पूरे देश में भू–अधिकार संघर्ष पर केन्द्रित अपडेट के इस अंक को प्रकाशित करते हुए नवगठित अपडेट संपादकीय समूह को आपार खुशी हो रही है।

ये संघर्ष इस स्तर तक नये स्वरूप व आकार ले रहे हैं कि स्वयं संघर्ष का इतिहास व भूगोल पुनः लिखे व उकेरे जाएंगे। इस उपक्षेत्र में जन राजनीति का यह नया डॉन है। प्रारूप व प्रवृत्ति में इस बदलाव को राजनीतिक विश्लेषक मान्यता देने के लिए बाध्य हैं।

हमेशा की तरह, हम महसूस करते हैं और यह अपडेट कलेक्टिव की भूमिका व कर्तव्य है कि संघर्ष की इन कहानियों को तमाम पाठकों व आन्दोलनकारियों के सामने लाएं। हम यह इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आपमें से हरेक व्यक्ति इस मुद्दे से जुड़ेगा एवं 'हासिये में रह रहे समुदायों व प्राकृतिक संसाधनों के समर्थन' में सार्वजनिक चर्चा को निर्देशित करेगा। संकेत साफ व व्यापक है। अपने संसाधनों, रीतियों व परंपराओं पर सरकारी हमले व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए अब तक ये समुदाय बैक फुट पर थे। अब इस बाधा को पार करते हुए, व्यवसायिकों व भूमि सम्पन्न विशिष्ट वर्ग की समर्थक सरकार के खिलाफ गरीब व भूमिहीनों के हम एक नये उदय को देखते हैं – जो कि खोई हुई भूमि व संसाधनों पर पुनः दावा करते हैं।

''हमे जमीन दो या गोली दो...''

केरल में चेंगारा भूमि संघर्ष

केरल में पथनमथिट्टा जिले के दक्षिणी वृक्षारोपित पट्टी के पहाड़ी भूभाग में भूमि संघर्ष की गूंज सुनाई देती है, जिसमें अभूतपूर्व रूप से आबादी के सबसे वंचित हिस्से दलित व आदिवासियों के 5000 से भी ज्यादा परिवार शामिल हुए। केरल के भूमि सुधार में वंचित रह गये इन लोगों ने जबरदस्त सफलतापूर्वक अपनी आवाज बुलंद की है। इनकी मांग है कि आवास व मजदूरी के लिए जमीन दिया जाय।

भूमि के मालिकाना के लिए भूमिहीन दलितों एवं आदिवासियों का यह संघर्ष 4 अगस्त 2007 को शुरू हुआ। साधुजन विमोचन संयुक्त वेदी (एसजेवीएसवी) के अध्यक्ष लाहा गोपालन के अनुसार, विभिन्न हिस्सों के करीब 4500 भूमिहीन परिवारों के 2900 लोग खंभे व प्लास्टिक शीट से तम्बू बनाकर संघर्ष की ओर बढ़ चुके हैं। विभिन्न जिलों से भूमिहीन लोगों द्वारा संघर्ष से जुड़ने से संख्या दिनों–दिन बढ़ती जा रही है।

पथनमथिट्टा जिले में कोन्नी के पास चेंगारा में हैरिसन मलयालम लिमिटेड के रबर बगान के गुंडो द्वारा इन पर अतिक्रमणकारी कहकर हमला किया गया। महिलाओं सहित उनमें से दस लोग पथनमथिट्टा में अस्पताल में भर्ती हैं। इन गरीब लोगों पर सरकार एवं भूमाफिया के आतंक के अलावा, चिकनगुनिया की महामारी ने आ घेरा है।

लगातार बारिश, बढ़ते बुखार एवं जमा खाद्यान्न समाप्त होने से लोगों को भूखमरी का समना करना पड़ रहा है। लेकिन एक महीने से भी ज्यादा से उनका जबरदस्त उत्साह कायम है। वे दृढ़ हैं कि वापस नहीं जाएंगे। उनके जुबान हमेशा देहराते हैं ''हमें जमीन दो या गोली दो''।

यह वास्तव में संघर्ष का दूसरा चरण है। दस महीने पहले एसजेवीएसवी ने एक आनदोलन किया था जो लगभग इसी प्रकार का था। वह इसी प्रबंधन के कुम्बझा इस्टेट में था। सरकार के इस आश्वासन के बाद संघर्ष रोक दिया गया था कि उनके मांगों पर विचार किया जाएगा। जब सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिखा तो एसजेवीएसवी ने नयी जमीन पर कब्जा करके मौजूदा संघर्ष को आगे बढ़ाया। संघर्ष की शुरूआत में उनलोगों ने करीब 125 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। ओणम त्यौहार के बाद, अपने संघर्ष को व्यापक करते हुए लगभग हरेक परिवार द्वारा एक एकड़ जमीन पर कब्जा करते हुए वे चार पहाड़ियों तक फैल गये।

सवालों में घिरे बगान की लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन बगान मालिक का दावा है कि पेड़ उनके हैं जबकि यहां तक कि जमीन उनकी नहीं है। केरल में सीपीआई–एम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार बगान मालिकों से जमीन लेकर भूमिहीनों को बांटने के अपने एक साल पुराने वादे से बंधी हुई है।

सरकार ने लिखित रूप से वादा किया है कि आदिवासियों को जमीन आबंटित किया जाएगा। वाममोर्चा सहित पिछली हरेक सरकारों ने थोड़े बहुत मामलों को छोड़कर भूमिहीनों को जमीन देने के अपने वादे को नहीं निभाया है। जहां पर अपने पूर्वजों की जमीन पर हक जताते हुए आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, उस मूथंगा का भूत सत्ता को हमेशा सताता है। मूथंगा भू–अधिकार संघर्ष का एक उदाहरण है और वह दलितों एवं आदिवासियों के भू–अधिकार के संघर्ष पर आगे बढ़ने के प्रति लोगों का आह्वान करता है।

एक मोटे अनुमान के आधार पर केरल के 56 प्रतिशत दलितों एवं आदिवासियों के पास कोई जमीन नहीं है। केरल की आबादी में आदिवासियों, दलितों एवं दलित इसाइयों (चेंगारा में 4500 कब्जाधारियों में से ये सभी समुदाय शामिल हैं) की संख्या करीब 65 लाख है – जिनमें 5 लाख आदिवासी हैं एवं शेष दलित हैं। यदि उन्हें 2 सेंट, 4 सेंट या फिर 10 सेंट जमीन पर कब्जा मिलता है तो वे जमीन के मालिक कहलाएंगे जबकि व्यवसायिक घरानों ने हजारों एकड़ जमीन पट्टे पर लिया हुआ है। 'हैरिसन मलयालम' जैसी बगान मालिक का जिन हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा है, उस पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उनके पास केरल के 6 जिलों में 33 बगानों (रबर व चाय के) के माध्यम से 50000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। हम इस अन्याय से कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यह सच्चाई, जो कि आशा की वजह है कि जिन समुदायों को मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है वे अब जागरूक हो रहे हैं एवं उठ खड़े हो रहे हैं।

प्रबंधन, मजदूर यूनियन एवं मीडिया की भूमिका चेंगारा भूमि संघर्ष के प्रति काफी असहयोगी रही है। भाकपा–एम एवं भाकपा, जिन्होने आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में भू–आन्दोलन का नेतृत्व किया था, जो कि खम्माम में मृतकों के परिवारों के मदद के लिए चंदा एकत्र कर रहे हैं, वे केरल में गरीब दलितों एवं आदिवासियों के भू–आन्दोलन के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।

मौजूदा आन्दोलन संघर्ष के उच्च प्रकृति का संकेत हैं। 4000 अलग–अलग परिवारों (जिसमें प्रतिदिन करीब 20 परिवार बढ़ रहे हैं) का ''दुश्मनों'' से घिरे इलाके में एक साथ आना और हफ्तो, महीनों तक टिकना एवं बारिश, महामारी एवं भूख के प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करना कोई आसान बात नहीं है। चेंगारा इस्टेट के कुरुमबत्ती डिवीजन में परिवारों से पूछा गया कि यदि न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आदेश देती है तो क्या करेंगे; तो महिलाओं ने मुखर होकर घोषणा किया कि : ''हमारे पास पांच लीटर मिट्टी का तेल है, और जिस समय सरकार हमें यहां से हटायेगी, तो हम खुद को आग लगा लेंगे। बगैर जमीन के पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।''

केरल में एसजेवीएसवी समर्थन समिति के सम्पर्क :
पी. जे. जॉनसन एवं जोमोन (नवचेतना)
फोन : 0469–2630923, 09447956412
ईमेल : जोमोन चेरियन : jomoncheriyan@gmail.com ;
डाइनैमिक एक्शन (नवचेतना) : dynaact@yahoo.co.in ;
जॉय जोसेफ (प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन) – 09447907635 ;
ईमेल : joykutty23@yahoo.co.in

''जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है...''

उ.प्र. के सोनभद्र में विजय एवं जारी भूमि संघर्ष

उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, खासकर पुलिस के प्रताड़ना एवं कैमूर क्षेत्र मजदूर महिला किसान संघर्ष समिति (केकेएमएमकेएसएस) के कई कार्यकर्ताओं के दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी के बाद, प्रमुख भूमि अधिकार संघर्ष का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। केकेएमएमकेएसएस ने न सिर्फ स्थानीय आन्दोलन में बल्कि देश भर के भूमि संघर्ष में ऐतिहासिक विजय हासिल की जब संगठन द्वारा नियमित और जबरदस्त राजनैतिक दबाव की वजह से मायावती सरकार को दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत आरोपित आन्दोलनकारियों से 10 दिनों के अन्दर आरोप वापस लेने को बाध्य होना पड़ा। एक ऐतिहासिक निर्णय में, राज्य सरकार कैमूर समिति द्वारा दलित एवं आदिवासी परिवारों के भूमि वितरण की मांग पर सहमत हो गई है।

कई वर्षों से कैमूर क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले वन विभाग एवं वनवासियों, जिनमें ज्यादातर भूमिहीन आदिवासी एवं दलित हैं, के बीच भूमि वापसी के संघर्ष के केन्द्र बिन्दु रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि उनके पारंपरिक ग्राम समाज की जमीन को गैरकानूनी तरीके से वन विभाग ने हथिया लिया है। महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों के नेतृत्व वाली आन्दोलन केकेएमएमकेएसएस इस संघर्ष की अगुआ रही है। जब वन विभाग ने इस मुद्दे पर समझौता करने से या स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने से इनकार किया तो लगातार विरोध एवं संघर्ष हुआ।

दिसम्बर 2006 में वन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद जबसे वन विभाग ने स्थानीय पुलिस के सांठगाठ से सीधे–साधे लोगों को परेशान करने के लिए धमकी देना शुरू किया था तब से ही वन विभाग के अधिकारियों एवं स्थानीय संगठनों के बीच तनाव बढ़ गया था। उनका बार–बार यह कहना कि वन अधिकार अधिनियम अभी भी लागू नहीं है, वास्तव में यह संसद की अवमानना है। स्थानीय जमीदारों एवं वन विभाग के अधिकारियो ने पुलिस के सहयोग से शांतिपूर्ण संघर्ष में संलग्न दलितों एवं आदिवासियों को नक्सली कहकर प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया है।

केकेएमएमकेएसएस की एक महिला नेता एवं राष्ट्रीय वन श्रमजीवी मंच (एनएफएफपीएफडबल्यू) के संचालन समिति की सदस्य रोमा सहित केकेएमएमकेएसएस के तीन अन्य कार्यकर्ताओं, शांता भट्टाचार्य, लालता देवी एवं श्यामलाल पासवान को वन अधिकार अधिनियम को लागू करवाने के लिए अभियान के दौरान 3 एवं 5 अगस्त को सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किये गये सभी लोगों पर भारतीय दंड सहिता की धारा 144, 143, 447 एवं 5/26 एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा 63 लगाया गया जबकि रोमा पर भी भारतीय दंड सहिता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 120बी लगाया गया।

लेकिन यह संघर्षरत लोगों एवं खासकर महिला शक्ति के जोश को कम कर पाने में नाकाम रहा है। उन लोगों ने पुलिस की कार्यवाही का मजबूती से विरोध करते हुए मुख्य मार्ग को घंटो जाम कर दिया और उस पूरी अवधि तक जिला न्यायालय परिसर में लगातार धरना दिया। स्थानीय समुदायों ने सफलतापूर्वक उन 5000 एकड़ जमीन पर नियंत्रण किया जिन्हें उन लोगों ने फिर से कब्जा किया था, और स्थानीय माफिया वे पुलिस व वन विभाग के सांठगाठ से तमाम हमलों के खिलाफ दृढ़ रहे। यह काफी खास रहा और इसने सही मायने में स्थानीय जन संगठनों के संघर्ष को पुन स्थापित किया है। पुलिस द्वारा 300 लोगों, जिनमें से अधी महिलाएं हैं, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद संघर्ष मजबूती से जारी रहा।

इस संघर्ष की वजह से उ.प्र. सरकार द्वारा लोगों की मांग को नजरअंदाज करना असंभव हो गया और 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आरोंपों को वापस लेने के आदेश पर स्वयं हस्ताक्षर किया। अन्य स्थानीय मामलों में सरकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट दर्ज करके मुकदमों को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया।

इस संघर्ष में मुख्य मुद्दा वास्तव में यह रहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 को अमल में लाया जाय। संसद द्वारा दिसम्बर 2006 में इस अधिनियम को पास करने से उन वन निवासियों को थोड़ी उम्मीद जगी जो कि अपने अधिकारों के लिए सदियों से संघर्षरत थे। वे एक नये युग की रोशनी को देख सकेंगे जो कि उन्हें वन क्षेत्र में वन विभाग की जमींदारी से मुक्ति दिलायेगी। ऐसे में इस कानून से, वन में रहने वालों में मजबूत एकता की संभावना उभर रही है क्योंकि आदिवासी व दलित स्थानीय जमीदारों एवं वन विभाग के खिलाफ मजबूती से एकजुट हो रहे हैं। यह उभरती हुई परिस्थिति वन विभाग, स्थानीय जमीदारों, ठेकेदारों एवं पुलिस के बीच काले गठबंधन के मूल आधार को झकझोर रहा है।

हालांकि जमीन के हक के लिए एवं सभी आन्दोलनकारियों से झूठे आरोप वापस लेने के लिए सोनभद्र में संघर्ष जारी है, लेकिन इस अनुभव एवं विजय से महत्वपूर्ण सीख मिली है। यह इस बात को रेखांकित करती है कि जहां भूमिहीनों को आसानी से जमीन नहीं दी गई है, वहां उन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके व दृढ़ प्रयास से उस पर कब्जा किया है और आगे भी करेंगे। इसमें लम्बा समय लगेगा लेकिन यह होकर रहेगा। इसका कोई शार्टकट नहीं है।

सम्पर्क : एनएफएफपीएफडबल्यू,
पूरब मोहाल, हर्ष नगर, राबर्ट्सगंज,
जिला सोनभद्र – 231 216 (उ.प्र.)
फोन : 91–5444–224578
ईमेल : romasnb@gmail.com/
hrlkaimoor@gmail.com

"बिरसा मुंडा अमर रहें...."

पुलिस की बर्बरता के बावजूद घटेहा, रीवां में भूमि संघर्ष जारी

19 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तिओथर तहसील के घटेहा गांव में पुलिस ने वन मंडालाधिकारी, एसडीओपी एवं सीओ की निगरानी में आदिवासियों पर गोली चलाया। 4000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों ने उस गांव में एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर रखा था। उस इलाके को 5 घंटे से भी ज्यादा देर घेरने के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा एवं महिलाओं को निदर्यतापूर्वक पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद गोली चलनी शुरू हो गई। तीन लोगों की मौत और सैकड़ों लोगां के घायल एवं लापता होने की आशंका थी। एक माह से ज्यादा बीतने के बाद और स्थानीय आन्दोलनों के तमाम जमीनी संघर्ष और देश भर के आन्दोलनों के समर्थन के बाद पुलिस

महानिदेशक बी मारिया ने गोलीकांड के उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया। यह मुद्दा मध्य प्रदेश विधान सभा में भी जोर–शोर से उठा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी डीजीपी एवं रीवा के जिलाधिकारी को घटेहा गोलीकांड के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।

घटेहा गांव में करीब 1500 आदिवासी परिवार 1500 बीघा वर्षा आधारित जमीन पर निर्भर हैं। 15 मार्च 2007 को वे लोग उस जमीन पर अस्थायी आवास व झोपड़ी बनाने के लिए बढ़े जिस पर वे तीन साल से गुजारा कर रहे थे। उस जमीन के आस पास के इलाके को जुलाई 1974 में गैर–अधिसूचित कर दिया गया था और उस पर वन निवासियों को ''अतिक्रमणकारी'' घोषित करके वन विभाग ने अपना दावा जता दिया था। उन लोगों ने स्थानीय जमीदारों एवं ठेकेदारों से भी गुस्सा मोल लिया था।

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाय तो, वे जमीन बड़े राजघराने का हिस्सा थी जो 1937 में वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी लेकिन उनमें सभी सामुदायिक अधिकार कायम थे। लेकिन 1962 में इस छोटे राज्य के मध्य प्रदेश में शामिल होने के बाद सभी सामुदायिक अधिकार सीमित कर दिये गये। जमीनों को प्रबंधन के लिए वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इन जमीनों को भारतीय वन अधिनियिम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया। लेकिन सामुदायिक जमीनों के अधिकार निर्धारित करने की प्रक्रिया को पूरा किये बगैर ही कार्य योजना के अंतर्गत जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया, जो कि गैरकानूनी था। भारतीय वन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि धारा 4 की जमीन को कार्य योजना में अधिसूचित किया जाय। यह बहुत स्पष्ट है कि कथित विवादित जमीन वास्तव में कोल आदिवासियों की निस्तारी जमीन (समुदाय द्वारा पारंपरिक उपयोग में लाये जाने वाली जमीन) थी, जो कि अतीत में उनसे गैरकानूनी तरीके से राजस्व व वन विभाग द्वारा हथिया लिया गया था।

17 अप्रैल को वन विभाग एवं पुलिस के अधिकारियों ने आदिवासियों को जमीन न छोड़ने पर गंभीर परिस्थिति भुगतने की चेतावनी दी थी। अगले दिन, रीवा के जिलाधिकारी गांव में आये और ग्रामीणों के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक के. के. सिंह, मुन्नीलाल – राष्ट्रीय वन्य श्रमजीवी मंच के एक संयोजक – एवं उत्तर प्रदेश एवं रीवा के अन्य आन्दोलनकारियों के सामने विचार–विमर्श शुरू किया कि वह जमीन खासतौर पर विवादास्पद है और उन्हें इसके बदले जमीन दिया जाएगा।

जबकि, 19 अप्रैल की सुबह से ही, डीएफओ एवं जिला पुलिस भारी दल बल के साथ गांव में एकत्र होने लगे और पांच घंटे तक उस इलाके को घेरने के बाद आंसू गैस के बाद लाठी चार्ज एवं उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दिया। महिलाएं अन्य ग्रमीणों की रक्षा के लिए सबसे आगे थी इसलिए उनकी भारी पिटाई की गई। पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी घर जला दिये गये एवं लूट लिए गये।

उस दुर्घटना के बीतने के कई सप्ताह तक घटना के पीड़ीतों से सम्पर्क करना काफी मुश्किल रहा। लगातार दमन जारी रहने के कारण गुमशुदा लोगों का पता लगाना, घायलों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना एवं लोगों पर बर्बरतापूर्वक पेश आने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना भी मुश्किल था। स्थानीय मीडिया एवं जमीदारों ने संघर्षकारियों को 'बाहरी' कहकर भ्रम फैला दिया था। यहां तक कि उन्हें नक्सली कहा गया क्योंकि उनके संगठन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था।

वह लगभग हारे हुए मैदान की तरह था लेकिन बिरसा मुंडा भूमि अधिकार मंच (बीएमबीएएम), उत्तर प्रदेश भूमि सुधार एवं श्रम अधिकार अभियान समिति एवं एनएफएफपीएफडब्ल्यू ने आन्दोलन को जमीनी स्तर पर मान्यता दिलाने की अपनी कोशिश शुरू की। संघर्ष 2007 की समिति सहित अन्य जांच दलों की मौजूदगी ने प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बनाने में मदद की। 21 मई 2007 को 1000 से ज्यादा आदिवासियों ने प्रशासन के इस दमन के खिलाफ कमीश्नर के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि सभी आन्दोलनकारी एवं बीएमबीएएम के सभी नेताओं ने सामने आकर लोगो पर 19 जनवरी को हुए जुर्म के बारे सार्वजनिक रूप से बताया। कमीश्नर को 20 सूत्रीय मांगपत्र तैयार करके सौंपा गया और कमीश्नर ने मांग पत्र लेते हुए घोषणा किया कि पुलिस आईजी ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये हैं। कमीश्नर को मांग पत्र सौंपने के बाद उन लोगों ने आईजी कार्यालय की ओर प्रस्थान किया, जहां आईजी ने लोगों से मांग पत्र लेने के बाद तत्काल पीड़ीतों की चिकित्सकीय जांच करवाने एवं लाठी चार्ज, गोलीबारी से घायलों एवं लापता बच्चों के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये।

यह वास्तविकता कि स्थानीय जमीदार, वन अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस घटेहा के स्थानीय संघर्ष को रोक पाने में नाकाम रहे, जो कि वास्तव उस इलाके में भूमि

एवं विकास के अन्य मुद्दों के लिए लगातार संघर्षरत आन्दोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।

अन्य समाचार

दिल्ली में मछुआरों का करो या मरों का आन्दोलन सफल

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में निर्धारित शक्तियों के आधार पर अगस्त 2001 में समुद्र–कर्कटी सहित 62 अन्य प्रजातियों के पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस समय राष्ट्रीय मछुआरा फोरम (एनएफएफ) ने तत्काल उस अधिसूचना का विरोध किया था एवं परिणामस्वरूप शार्क एवं अन्य प्रजातियों को उससे अलग रखा गया एवं समुद्र कर्कटी सहित अन्य प्रजातियों पर ध्यान देने के लिए एक समति का गठन किया गया था। तब से मछुआरे यहां तक कि कई बार पर्यावरण एवं वन मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन प्रतिबंध हटवाने के उनके सारे प्रयास नाकाम रहे।

हाल ही में कथित प्रतिबंध के उल्लंघन के नाम पर दक्षिण भारत के राज्यों में कई मछुआरे गिरफ्तार किये गये। गरीब मछुआरे अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समुद्र कर्कटी पकड़ने की मछुआरों की सदियों पुरानी परंपरा इस अधिसूचना की वजह से अपराधिक कृत्य बन चुकी है और मछुआरों को अक्सर जेलों में डाल दिया जाता है।

मछुआरों द्वारा करो या मरो का अनिश्चित संघर्ष दिल्ली में 29 अगस्त से शुरू हुआ जो कि पॉलसामी, अरूलानन्दम एवं बी शेखर के नेतृत्व में तमिलनाडु के रामनाद जिले से आये 300 महिला व पुरूष मछुआरों द्वारा आन्दोलन की शुरूआत हुई। धरने के पहले दस दिन पूरा होने के बाद कई अन्य लोगों द्वारा उनके साथ आना था।

धरना के पहले ही दिन से विभिन्न सांसदों ने धरना स्थल का दौरा करके अपना समर्थन जताया। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के साथ कई दौर के वार्ता के अंतर्गत मछुआरों ने पर्यावरणीय लॉबी और टाटा जैसी कम्पनी के बीच के सांठगाठ को उजागर किया, जो कि प्रतिबंध को जारी रखना चाहते हैं। टाटा ने लक्षद्वीप में प्रतिबंध हटवा लिया है, जहां से वे 'प्रतिबंधित' समुद्र कर्कटी पकड़कर प्रसंस्करित करके निर्यात कर रहे हैं। संसद में इस मुद्दे को भाकपा के सांसद डी, राजा ने उठाया जिसे विभिन्न सांसदों गुरुदास दासगुप्ता, तिरूनावुकारासु, पानयन रविन्द्रन, अप्पादुराई एवं सुधाकारा रेड्डी ने समर्थन किया।

31 अगस्त 2007 को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नमो नारायण मीणा, श्रम मंत्री आस्कर फर्नाण्डिज की उपस्थिति में समुद्र कर्कटी एवं अन्य वस्तुओं से प्रतिबंध हटाने के मछुआरों की मांग पर सहमत हुए। यह मछुआरों के संघर्ष की सफल कहानी है, जो कि दिल्ली में जारी अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई।

प्रतिबंध हटवाना सुनिश्चित करवा कर एनएफएफ ने पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से चले आ रहे अन्याय को रोकने की व्यवस्था की। इस सफलता के साथ, एनएफएफ ने संरक्षण विशेषज्ञों के इस तर्क को भी नाकाम करने में सफलता पायी कि पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने से पारंपरिक संसाधन कम हो कर समाप्त हो जाएंगे। साथ में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समुद्र कर्कटी के पकड़ने पर वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है और भारत पर इस बारे में काई दबाव भी नहीं है। लगभग 70 देश समुद्र कर्कटी के निर्यात में संलग्न हैं। अन्य विरोधाभासी बात यह है कि जहां भारत में इस पर रोक लगाया जा रहा है, वहीं चीन जैसे देश पारंपरिक क्षेत्र में समुद्र कर्कटी पकड़ने, प्रसंस्करित करने के व्यापार में एक प्रमुख देश बनकर उभरे हैं।

सलवा जुडुम पर जन सम्मेलन

छत्तीसगढ़ में जारी जनयुद्ध पर चुप्पी को तोड़ने का आह्वान

छत्तीसगढ़ में एक उदासीन चुप्पी ने जन युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है जो कि दो साल से भी ज्यादा से जारी है। जून 2005 से छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्य के दंतेवाड़ा जिले में 'स्वाभाविक', 'स्वतः स्फूर्त', 'शांतिपूर्ण', 'जन आन्दोलन कहकर नक्सलियों के खिलाफ उन्हें मार गिराने का सलवा जुडुम नाम की कार्यवाही जारी रखा हुआ है।

जबकि वास्तविकता यह है कि सलवा जुडुम कार्यकर्ता शांतिपूर्ण अभियान से दूर बन्दूको, लाठी, कुल्हाड़ी, तीर एवं धनुष से लैस होते हैं। दंतेवाड़ा जिले में कानून व नागरिक प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और सलवा जुडुम कार्यकर्ता चौकन्ने होकर हत्या, लूट, आगजनी, बलात्कार करके खुले घूम रहे हैं। सलवा जुडुम की वजह से कम से कम एक लाख लोग विस्थापित हुए हैं एवं 644 ''स्वतंत्र गांव'' से कम से कम 3 लाख लोगों की जिदंगी पूरी तरह चौपट हो गई है। लोगों को उनके गांव से जबरदस्ती उठाकर 'सहायता शिविरों' में डाल दिया जाता है, जहां वे भोजन, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का

सामना करते हैं। पड़ोसी राज्यों में जबरदस्ती विस्थापन को मजबूर हुए कई हजार लोगों की जिंदगी तो बदतर हो गई है।

सलवा जुडुम पर नागरिक समाज के पहले प्रयास के तहत दिल्ली में 4 सितम्बर 2007 को छत्तीसगढ़ के कैम्पेन फॉर पीस एंड जस्टिस अभियान द्वारा आयोजित 'सलवा जुडुम पर जन सम्मेलन : छत्तीसगढ़ में जन युद्ध' में कई लोग और संगठन एक साथ आए। सम्मेलन में सांसद, मनवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी एवं समाज के विभिन्न स्तर के लोग शामिल हुए।

प्रमुख वक्ताओं में दंतेवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार; दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक व आदिवासी महासभा के सचिव मनीश कुंजम; छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एवं दंतेवाड़ा जिले में दो साल से जारी हिंसा के शिकार कई आदिवासी शामिल थे।

दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सदस्य करतम जोगा ने बताया कि सिर्फ सलवा जुडुम के आदेशों को न मानने के कारण वे 9 महीने तक जेल में रहे। सलवा जुडुम सदस्यों की बर्बरता व प्रताड़ना के बारे में बताते हुए उन्होने कहा कि गांवों को जलाने के खिलाफ प्रदर्शन करने और निर्दोष ग्रामीणों के प्रताड़ना के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने के उनके प्रयास से सलवा जुडुम के लोग उनसे नाराज थे।

सलवा जुडुम द्वारा जन युद्ध की स्थिति पैदा कर दिये गये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वनवासी चेतना मंच के हिमांशु कुमार ने बताया कि, ''सलवा जुडुम एक निजी सशस्त्र बल बन चुका है जिसे राज्य व केन्द्र सरकार से हत्या, बलात्कार, लूटपाट कर खुला घूमने का लाइसेंस मिला हुआ है।''

श्री अजीत जोगी ने कहा कि, ''आदिवासी इलाकों पर दक्षिण पंथी फासीवादी शक्तियों द्वारा कब्जा करने के लिए सलवा जुडुम एक चाल है। सलवा जुडुम माओवादियों या नक्सलियों के खिलाफ कोई स्वतः स्फूर्त या शांतिपूर्ण अभियान नहीं है। यह फासीवादी शक्तियों द्वारा लोगों एवं उनकी संस्कृतियों को नष्ट करने की एक गहरी चाल है।

सम्मेलन में मांग की गई कि छत्तीसगढ़ सरकार सलवा जुडुम को तत्काल बंद करे व हथियार मुक्त करे और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भर्ती को रोके। यह भी मांग की गई कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 को वापस लिया जाय। सम्मेलन में मांग की गई कि भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय ग्राम सुरक्षा प्रक्रिया के तहत सलवा जुडुम को समर्थन देना बंद करे।

सम्मेलन में यह भी मांग की गई कि राज्य सरकार एवं माओवादी समस्त हिंसा पर तत्काल रोक लगाए और राजनैतिक विचार–विमर्श के हालात पैदा करें।

विस्थापन के खिलाफ जन घोषणा संघर्ष 2007 में जन आन्दोलनों एवं संगठनों का दिल्ली घोषणा पत्र, अगस्त 2007

{नयी दिल्ली के अम्बेडकर भवन में 11 व 12 अगस्त 2007 को विस्थापन पर जन सम्मेलन आयोजित हुआ एवं 13 अगस्त 2007 को नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय नीति एवं विकास नियोजन पर अमल लाने की मांग को लेकर विस्थापन के खिलाफ धरना आयोजित हुआ। संघर्ष 2007 द्वारा आयोजित जन सम्मेलन एवं धरना में विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत लगभग 80 जन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए देश भर के 600 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सम्मेलन में संप्रग सरकार की एसइजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) सहित जनविरोधी विस्थापन नीतियों एवं सैकड़ों तथाकथित विकास परियोजनाओं की निंदा करते हुए मांग की गई कि संप्रग सरकार 'विस्थापन रोकने' के अपने चुनावी वादे को पूरा करे एवं लाखों लोगों के विस्थापन को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के बदले जन–अनुकूल विकास नियोजन नीति लाए। सम्मेलन में आये प्रतिभागियों ने ग्रामीण (परियोजना आधारित), शहरी विस्थापन, जंगल, पानी, समुद्र तटीय, सैन्य आदि विभिन्न कारणों से होने वाले विस्थापन के बारे में अपने अनुभव बताए। एसइजेड प्रभावित जन संगठनों ने भी अपने मुद्दों को उठाया। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आये दलित एवं आदिवासी संगठनों ने सामाजिक विस्थापन के लिए विशेष प्रावधान की मांग की।}

भारत सरकार द्वारा जबरदस्ती किये जा रहे अलोकतांत्रिक व अमानवीय विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत हम विभिन्न जन आन्दोलनों के प्रतिनिधि, यह व्यक्त करते हैं/मांग करते हैं कि :

- भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को समाप्त करके नयी व्यापक कानून लायी जाए जिसमें (क) जन हितों को परिभाषित करने वाले विकास लक्ष्य (ख) विकल्प आकलन व चयन को आधार से युक्त नियोजन प्रक्रिया एवं (ग) लोकतांत्रिक ढांचे के साथ–साथ (घ) कानूनी, मानवीय तौर पर कम विस्थापन वाली प्रक्रिया (ङ) न्यायपूर्ण व उपयुक्त पुनर्वास हो; सिद्धान्तों, प्रावधानों एवं लोकतांत्रिक, विकेन्द्रित प्रशासनिक ढांचे वाली

ऐच्छिक संसाधनों के बटवारे पर आधारित विकास के अलावा विस्थापन पर समझौता न हो।

▪ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को रद्द किया जाय एवं एसटीजेड, एसइजेड आदि पर अमलीकरण तत्काल रोका जाय।

▪ बड़ी संख्या में समुद्रतटीय लोगों को विस्थापित करने वाली तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिसूचना वापस ली जाय एवं तटीय प्रबंधन सम्बन्धित समस्त निर्णय मछुआरों एवं तटीय लोगों के सलाह–मशविरा से किया जाय।

▪ लोगों के संसाधन एवं भारतीय संविधान में निहित बाध्यकारी कर्तव्यों के प्रति लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाय, न कि श्रेष्ठ जमीदारीं के सिद्धान्त पर जिसने हासिये पर रहने वाले लोगों को तबाही एवं पृथकता की ओर धकेल दिया है।

▪ नीति का उद्देश्य विस्थापन को कम करना हो न कि बढ़ाना। आम सहमति युक्त अंतिम नीति वक्तव्य के लिए तैयार नीति प्रारूप (आन्दोलनकारियों के एक बड़े समूह एवं विकास परियोजनाओं से प्रभावित प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया) को सन्दर्भ के तौर पर लिया जाय।

▪ एक परियोजना नियोजन की इकाई, न सिर्फ पुनर्वास बल्कि सबसे छोटी सामाजिक इकाई होनी चाहिए; जैसे कि ग्रामीण इलाकों में पुरवा/गांव एवं शहरी इलाकों में बस्ती (1000 परिवार से ज्यादा नहीं)। राष्ट्रीय नियोजन एवं आर्थिक प्रगति में लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान की धारा 243 पर जोर दिया जाय।

▪ भूमि सहित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग प्रवृत्ति में बदलाव बगैर 'विस्थापन' के होना चाहिए, यदि वह संसाधन के योगदानकर्ता/निवेशक के पक्ष में हो; तो वह ऐच्छिक हो एवं बेहतर जीवन/आजीविका व लाभों में भागीदारी सुनिश्चित किये बगैर न हो।

▪ वर्तमान सन्दर्भ में आदिवासियों, दलितों, किसानों एवं श्रमिकों के एक बड़े समूह को 'विस्थापन' से सुरक्षा देने की आवश्यकता है और इस तरह किसी भी मामले में प्रभावित लोगों कीं 'जानकारी युक्त पूर्व सहमति' के बगैर कोई विस्थापन नहीं होना चाहिए।

▪ परियोजना नियोजन प्रक्रिया के भाग के तौर पर विकल्प आकलन सबसे छोटी इकाई से शुरू की जा सकती है एवं न्यूनतम बदलाव, सामाजिक–आर्थिक असर, विनाशकारी विस्थापन का उपयुक्त विकल्प एवं प्रभावी, दक्ष एवं लाभों के न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन पूर्ण करने की आवश्यकता होती है।

▪ किसी विकास परियोजना में परियोजना प्रभावितों के खिलाफ बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है एवं इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

▪ पुनर्वास का मतलब है वैकल्पिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन–यापन एवं इसे वैकल्पिक आजीविका के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता जो कि कृषि पर निर्भर आबादी, वन निवासियों एवं घूमंतू प्रभावित समुदायों के लिए जमीन के बदले जमीन पर आधारित (निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति के तौर पर आबंटित हो) होना चाहिए।

▪ यह नीति ग्रामीण (दलित व आदिवासी) एवं शहरी दोनों ही आबादी के लिए होना चाहिए और इस तरह के किसी भी मसौदे की समीक्षा एक से ज्यादा मंत्रालयों द्वारा होनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन व पर्यावरण मंत्रालय, उत्तर–पूर्व विकास के प्रभारी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

▪ लगता है कि राष्ट्रीय पुनर्स्थापन व पुनर्वास आयोग (एनआरआरसी) की पूर्व प्रस्ताव व मांग को वर्तमान नीति मसौदे से हटा दिया गया है। पूर्व मसौदे में राष्ट्रीय स्तर के शिकायत निवारण प्रक्रिया के तौर पर एनआरआरसी का सुझाव दिया गया था एवं नीति योजना के हिस्से के तौर पर इसका गठन होना चाहिए। एनआरआरसी के निहीत उद्देश्य एवं परियोजना स्तरीय शिकायत निवारण समिति को अलग–अलग समझा जाना चाहिए।

▪ कर्तव्यों एवं आदेशों में अंतर करने में किसी विकास परियोजना के लिए, अधिकतम सामाजिक–आर्थिक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए, गलत व जबरदस्ती विस्थापन को रोकने एवं भागीदारीपूर्ण आर्थिक प्रगति के लिए पुनर्वास नियोजन समिति के साथ–साथ एनआरआरसी द्वारा मूलभूत अमलीकरण उपकरण तय किये जाने चाहिए।

ये सभी इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि न सिर्फ न्यायपूर्ण पुनर्वास नीति की बल्कि विकास आयाम पर एक गंभीर प्रबंध की भी आवश्यकता है। यह न सिर्फ प्रगति के लिए एक समस्या या बाधक के तौर पर विस्थापन के लिए यह जरूरी हो गया है बल्कि जबसे समूहिकता के बजाय बर्बर 'विस्थापन' एवं अकिंचनता लादा गया है, तबसे विकास नियोजन सभी लोगों के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं साथ–साथ वितरणकारी न्याय को नकार रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को कम जोखिमों व गैरटिकाऊ

असरों से युक्त इस्तेमाल के योग्य नहीं बना रहे हैं। पारिस्थितिकी को हुए नुकसान व क्षरण से तत्काल प्रभावित लोगों के अलावा समस्त नागरिकों द्वारा इसकी कीमत चुकाई जा रही है। भूमि की क्षरण एवं क्षरीयता के दीर्घकालीन असरों, समुद्री मछलियों में कमी, घर बनाने के लिए सामर्थ्य योग्य भूमि की अनुप्लब्धता के दीर्घकालीक असरों की वजह अंततः पीढ़ीयों तक दमन का कारण बनती है जिसकी वजह से समाज में उबाल आता है। एसइजेड उन नीतियों का शिखर है, जिसने न सिर्फ बहस बल्कि चर्चा की आवश्यकता को भी नकार दिया है।

इस तरह संप्रग सरकार से आग्रह करते हैं कि संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को प्रस्तुत एवं पास किये गये मसौदे की ही तरह 'विकास नियोजन' के लिए नीति लाएं। नये नीति के अंतर्गत :

- विकास आधारित विस्थापन को न्यूनतम किया जाय एवं विस्थापन न करने वाली या विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यूनतम विस्थापन के विकल्प तलाशे जाएं।
- विकास या व्यावसायिक परियोजनाओं, गतिविधियों या नीति परिवर्तन (जमीन, आवास, आजीविका, प्रवेश) की वजह से भूमि उपयोग के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विपरीत सामाजिक असरों को न्यूनतम किया जाय।
- जहा विस्थापन न करने के विकल्प मौजूद न हो उन विरले मामलों में पूर्व में हुए जबरदस्ती विस्थापन के बजाय ऐच्छिक व संसाधनों में भागीदारी युक्त विकास के आधार पर विस्थापन होना चाहिए।
- विस्थापन एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता व न्याय सुनिश्चित किया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि जो लोग विस्थापित होते हैं उनकी न सिर्फ आर्थिक पहलू में बेहतरी हो बल्कि विस्थापन से पूर्व उनकी स्थिति के मुकाबले उनके लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध तरीके से मानवीय विकास व सुरक्षा के पहलू से भी बेहतरी सुनिश्चित हो।
- विस्थापित लोगों एवं समुदायों का सम्मान सुनिश्चित किया जाय एवं उनके संसाधनों को एक महत्वपूर्ण निवेश के तौर पर मान्यता मिले। उन्हें लाभों में भागीदारी मिले और किसी खास परियोजना से लाभान्वित होने वाले लोगों से या आम तौर पर विकास प्रक्रिया से लाभान्वित होने वाले लोगों से उनकी तुलना हो।
- पुनर्वास की आशंकाओं को विकास नियोजन एवं अमलीकरण प्रक्रिया से जोड़ा जाय।
- अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित किया जाय और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व बच्चों आदि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक प्रयास करना सुनिश्चित किया जाय और उनके साथ विशेष चिंता व संवेदनशीलता का बर्ताव हो, उसके लिए सरकार पर कानूनी जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि मौजूदा विस्थापितों के सम्पूर्ण पुनर्वास पूरा किये बगैर कोई नया विस्थापन न हो ताकि लोंगो को सरकार पर यह विश्वास बने कि सम्पूर्ण पुनर्वास संभव है और उसे हासिल किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि अधिग्रहण की किसी भी उद्देश्य के तहत सार्वजनिक स्थलों का अधिग्रहण न किया जा सके।

हम प्रतिबद्ध है :

- गहरे लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक विकास, समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के दावे के समर्थन, संघर्ष एवं रचनात्मक विकास की प्रक्रिया में संघर्षरत आन्दोलनों को मजबूत करने के प्रति;
- मौजूदा प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं व ढांचों के पुनर्निर्माण द्वारा नयी विकास प्रक्रिया के संघर्ष के प्रति;
- वैकल्पिक टिकाऊ विकास के लिए लोकतांत्रिक जगह बनाने के लिए;
- व्यापक जन राजनीति को टिकाऊ व बेहतर बनाने के लिए प्रतिरोध आन्दोलनों को व्यापक राजनैतिक आन्दोलनों से जोड़ने के लिए;
- समाज को जाति, सम्प्रदाय, नस्ल, लिंग के आधार पर बांटने विकास मॉडल को रोकने के लिए ताकि प्रतिरोध आन्दोलन आगे बढ़ सके;
- लोगों के लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया के लिए अभियान चलाने के लिए; प्रतिनिधिक राजनीति के हरेक क्षेत्र में वापस बुलाने का अधिकार केन्द्रित हो;
- संसाधन व लोकतंत्र में सुधार – तब तक संभव नहीं है जब तक मौजूदा कठोर कानूनों को निकाल बाहर न किया जाय।

13 अगस्त 2007 को घोषणा पत्र जारी

अपडेट कलेक्टिव
एफ–10/12, मालवीय नगर, नयी दिल्ली – 110 017
फोन : 011–2668 0883, **फैक्स** : 011– 2668 7724
ईमेल : update.collective@gmail.com
वेबसाइट : www.updatecollective.blogspot.com